न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36 / 2015(2016 / 00364)

संख्या 0014/2019 (2019/00129) SDO केकड़ी

1.श्रीमति लाली पत्नि किशनगोपाल आयु 52 साल
2.श्री राजेश पुत्र स्वर्गीय श्री किशनगोपाल आयु 34 साल
3.श्री विनोद पुत्र स्व0 श्री किशनगोपाल आयु 32 साल
4.सुमन पुत्री स्व0 श्री किशन गोपाल आयु 30 साल
तमाम जाति ब्राहमण निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–प्रार्थी

बनाम

1.नाथूलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी बघेरा निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–
1. श्री लेन्सी झंवर वकील– प्रार्थीगण
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा –अप्रार्थी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांक 24.12.20

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म
681–533	6371 / 3638 (6471/3638 SDO केकड़ी)	0.17	चाही–1

उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिसमे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 4827 किस्म गै.मु.रास्ता से प्रारंभ होकर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 3638 के पूर्वी और की मेर मे से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 6471 / 3638 तक पहुंचता है,उक्त रास्ता कदीमी है तथा लगभग 30 फीट चौड़ा है तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर आने जाने मे रूकावट पैदा की जा रही है। तथा बार बार कहे जाने पर भी सहमति नही बन रही है तथा आने जाने के रास्ते मे लोहे की जाली लगाकर काटे आदि पटक कर वर्तमान मे रास्ते मे बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है आवश्यकता अत्यधिक है। जबकि दिनांक 11.07.16 को जरिये सहमति वर्णित आराजीयात के पीछे का हिस्सा दिया गया तथा विभाजन मे आने जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ता छोड़ा गया था। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे। तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नंबर के लगवा अप्रार्थीगण की आराजीयात से होता हुआ पहुंचता है। [illegible] दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 श्री नाथूलाल पुत्र मोहनलाल की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया,जिसमे अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अंतर्गत उक्त जोत का रास्ता कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है जो वाकै ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

(अनुसूची–अ)

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
1654	533	6468 / 266	2.19	बारानी 1
		6469 / 267	0.10	बारानी 1
		6470 / 325	0.34	बारानी 1
		6471 / 3638	0.17	नहरी 2
		6517 / 6468	0.01	गै.मु.वाह
		किता 5	रकबा 2.81 है0	

अनुसूची (ब)

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
665	533	266	2.20	बारानी 1
		267	0.10	बारानी 1
		325	0.33	बारानी 1
		3638	0.18	वाही 1
		किता 4	रकबा 2.81 है0	

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 स्वर्गीय श्री मोहनलाल पुत्र श्री बारह बगस जी ब्राहमण निवासी ग्राम बघेरा के जायंदा व विधिक वारिसान है जो काबिल जायदाद चले आ रहे है। एवं उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसका रास्ते के अनुसार विधिक रूप से बंटवारा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, क्योकि पूर्व मे किये गये बंटवारे मे भूल व सवहन से उक्त समस्त पुश्तेनी आराजीयात का बटवारा प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिताजी किशनलाल व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य किया गया था। उसी का काउंटर क्लेम अंतर्गत धारा 188,88,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 8 नियम 6ए जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया जिसमे बताया गया कि अनुसूची अ व ब मे वर्णित आराजीतयात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अवैध व गेर कानूनी तरीके से मिलीभगती कर करवाये गये बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्ज काश्त की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 स्वर्गीय श्री मोहनलाल पुत्र श्री बारहबक्ष ब्राहमण निवासी बघेरा के विधिक एवं जायंदा वारिसान है जो काबिज आदि चले आ रहे है। अतः काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अवैध व गैर कानूनी तरीके से राजस्व रेकार्ड मे किये गये गलत इन्द्राज को लोपित करते हुए उक्त पुश्तैनी आराजीयात का रास्तो की स्थिति अनुरूप विधिक रूप से मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग मालगुजारी कायम किये जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश प्रदान किया जावे तथा अप्रार्थीगण उनके हाली,सिरी,सगे,संबंधी एजेण्ट,नोकर चाकर,मुखत्यारआम व खास को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से मे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचावे तथा न ही बोई हुई फसल इत्यादि को नष्ट भ्रष्ट करे। तथा न ही प्राकृतिक उपज इत्यादि को नष्ट भ्रष्ट करे। यानि हर प्रकार से मनमुंह व बाज रखा जावे। इस प्रार्थना पत्र की नकल प्रार्थी वकील को उपलब्ध करवायी गयी। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी नाथूलाल द्वारा जवाब के साथ काउण्टर क्लेम अंतर्गत धारा 88,188,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार प्रतिवादी काउण्टर क्लेम केवल मात्र उक्त स्थिति मे प्रस्तुत कर सकता है जब प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया हों आदेश 8 नियम 6 ए के अनुसार प्रार्थीगण ने कोई वाद पत्र प्रस्तुत किया हो तो अप्रार्थी को काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार होता है अन्य स्थिति मे नहीं। उपरोक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर रखा है जिसमे अप्रार्थी को काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। जिस कारण अप्रार्थी नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम रेकार्ड पर से हटाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम रेकार्ड से हटाया जाने का आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी संख्या 1 की और से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् आपत्ति काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधि के अनुसार ही अपने हक अथवा क्लेम यानि अपने हको की रक्षार्थ ही उक्त प्रतिदावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादपत्र की श्रेणी मे ही आता है और प्रार्थीगण ने अपने हक अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं होकर खारिज किया जाने योग्य है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिदावा प्रस्तुत करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। तथा प्रतिदावा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पूर्णतया विधिसम्मत व कानूनी रूप से प्रस्तुत किया गया है जिसे रेकार्ड से नहीं हटाया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार केकड़ी द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भूअ/2019/237 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा दिनांक 09.01.2020 को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है के अनुसार ग्राम बघेरा के खसरा नंबर 6471/3638 मे जाने हेतु कोई रास्ता नही है। पूर्व मे खसरा नंबर 3638 मूल नंबर था जिसके विभाजन से दो नबंर बन गये जिनकी नक्शे मे तरमीम हो रखी है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 3638 की पूर्वी मेड से होकर रास्ता चाहते है जो उपसिति खातेदार विनोद ने जानकारी दी कि खसरा नंबर 3638 मे पूर्व से होकर रास्ता दे दिया जावे इससे नजदीक कही और से रास्ता नहीं है। उक्त मेड़ पर मौके पर बाड़ लगी हुई है तथा दोनो खसरा नंबर मे काश्त हो रखी है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से जवाब मय काउण्टर क्लेम,जवाब प्रार्थनापत्र काउण्टर क्लेम,एतराज मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व मौका रिपोर्ट ,प्रार्थीगण की और से जवाब आपत्ति काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकले प्रार्थीगण–अप्रार्थीगण को दिलवायी गयी।

पक्षकारान के लायक अभिभाषको की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के लायक वकील श्री लेन्सी झंवर ने प्रार्थ[illegible] कि प्रार्थीगण ग्राम बघेरा स्थित खेत आराजी खसरा नंबर 6471/3638 रक[illegible]चाही 1 मे आने जाने हेतु रास्ता 3638 रकबा 0.18चाही 1 जो अ[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के लायक वकील श्री हनुमा[illegible] शर्मा ने वितर्क [illegible] करते हुए कथन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र राजस्थान अभि[illegible] उपधारा(1)के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन मय क[illegible]88,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 8 नियम 6ए जाप्ता दीवानी [illegible] प्रस्तुत किया है मेरा काउण्टर क्लेम है कि आराजी पुश्तैनी है जिसका विधिवत बंटवारा किया जावे,पूर्व मे अवैध व गैर कानूनी रूप से किये गये बंटवारा निरस्तनीय है। इसी तरह दिनांक 09.01.2020 को पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा अप्रार्थीगण को बिना सूचित किये ही प्रार्थीगण से मिलीभगती कर मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे। अपने कथन के समर्थन मे RLR(2) Singh and other v/ s Mukhtiyar Singh पेज नंबर 93–94 पेश किया,जिसका ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री झंवर ने रिजोईन्डर मे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व मे किये गये विभाजन से अप्रसन्न है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे उक्त बंटवारा की अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। हस्तगत प्रकरण अंतर्गत धारा 251 अ के तहत समरी ट्राईल का है इसमे दावा के लिए काउण्टर क्लेम चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। अतः अप्रार्थी का काउण्टर क्लेम रिकार्ड से हटाया जावे। तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने के आदेश तहसीलदार केकड़ी को दिया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क अदा करने को तैयार है।

मैने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व मे किये गये विभाजन से अप्रसन्न है तो उन्हे सक्षम न्यायालय मे प्रश्नगत बंटवारा की अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे लागू नहीं होते है। यह प्रकरण 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होकर समरी ट्राईल के तहत निस्तारण किया जाने योग्य है इन प्रकरणो मे दावा का काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। फलतः अप्रार्थी संख्या 2 का काउण्टर क्लेम अंतर्गत धारा 188,88,92ए,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 8 नियम 6 ए जाप्ता दीवानी खारिज किया जाता है। वाकै ग्राम बघेरा जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुराना 681–533 खसरा नंबर 6471/3638 रकबा 0.17 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस आराजीयात मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 3638 रकबा 0.18 है0 की पूर्वी मेड़ से होकर रास्ता, 5 मीटर चौड़ा रास्ता खेत की लंबाई तक जहां से खसरा नंबर 6471/3638 की सीमा प्रारंभ हो दिया जाता है। इस स्वीकृत शुदा रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे। स्वीक्त शुदा रास्ता हेतु उपयोग मे आयी हुई भूमि के क्षैत्रफल के अनुरूप मुआवजा राशि की गणना डी0एल0सी0 दर से कर प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 को भुगतान की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

अप्रार्थी संख्या 1

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

दिनांक 30.12.20

प्रकरण संख्या 0014/2019 (2019/00129),
खसरा नम्बर 6471/3638 तथा अप्रार्थी सं. 1 के क्र... मे दुरुस्ती की गई है ... तथा पूर्व के ... किया गया ... गलत ... है जो ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner